



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052023-246044  
CG-DL-E-24052023-246044

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2181]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2023/ज्येष्ठ 3, 1945

No. 2181]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2023/JYAISHTHA 3, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2023

का.आ. 2275(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के पहले परंतुक के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं. का.आ. 1131(अ), तारीख 5 मार्च, 2019 को अधिकांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गई या किए जाने से लोप की गई बातों के सिवाय, यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viiख) के उपबंध शेरों को जारी करने के लिए किसी कंपनी द्वारा प्राप्त प्रतिफल को लागू नहीं होंगे जो ऐसे शेरों के अंकित मूल्य से अधिक है, यदि उक्त प्रतिफल किसी कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति से प्राप्त किया गया है जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i), तारीख 19 फरवरी, 2019 में प्रकाशित वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 127(अ), तारीख 19 फरवरी, 2019 के पैरा 4 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की उक्त अधिसूचना के पैरा 5 में निर्दिष्ट घोषणा फाइल करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 30/2023/फा. सं. 370142/9/2023-टीपीएल (पार्ट-1)]

अमृत प्रीतम चेतिया, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

**स्पष्टीकरण ज्ञापन**

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th May, 2023

**S.O. 2275(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the first proviso to clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in supersession of the notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1131(E) dated 5<sup>th</sup> March 2019, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies that the provisions of clause (viib) of sub-section (2) of section 56 of the said Act shall not apply to consideration received by a company for issue of shares that exceeds the face value of such shares, if the said consideration has been received from any person, by a company which fulfills the conditions specified in para 4 of the notification number G.S.R. 127(E), dated the 19<sup>th</sup> February, 2019 issued by the Ministry of Commerce and Industry in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-Section (i) on 19<sup>th</sup> February, 2019 and files the declaration referred to in para 5 of the said notification of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade.

2. This notification shall be deemed to have come into force from the 1<sup>st</sup> day of April 2023.

[Notification No. 30/2023/F. No. 370142/9/2023-TPL (Part-I)]

AMRIT PRITOM CHETIA, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

**Explanatory memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification